आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com

G20 भारत 2023 INDIA

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / गुणवत्ता / TSM/2023–24 / 8153 दिनांक 8/1/2024

Teacher Support Material
दिशा निर्देश 2023–24

नई शिक्षा नीति 2020 में Foundational Literacy and Numeracy (FLN) अन्तर्गत विद्यार्थियों के सीखने में वृद्धि हो इसके लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कक्षा–3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।

"राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु State Initiative for Quality Education (SIQE) के अन्तर्गत राज्य के विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) एवं गतिविधि आधारित अधिगम प्रक्रिया (ABL) का संचालन किया जा रहा है।

उद्देश्य –

1. निपुण भारत मिशन के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षण को गतिविधि आधारित बनाना।
2. बालकेन्द्रित शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
3. विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करना।
4. गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रूचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
5. विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
6. विद्यार्थियों के स्तरानुसार शिक्षण योजना निर्माण करना तद्नुसार कक्षा कक्ष में गतिविधियों का नियोजन करना।

Signature valid

RajKaj Ref
5281256

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2024.01.05 14:29:27 IST
Reason: Approved

7. विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए उन्हें संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2023–24 में Foundational Literacy and Numeracy (FLN) अन्तर्गत Teacher Support Material हेतु अनुमोदित गतिविधि के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री राज्य स्तर से मुद्रित कराकर भिजवायी गई है। जो निम्नानुसार है–

1. **विषयवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका** – कक्षा 1 से 5 हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण विषय की कुल 4 पुस्तिकाऐं प्रति विद्यालय एक सैट।
2. **विषयवार कक्षावार चैकलिस्ट पुस्तिका** – कक्षा 1 से 5 हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण विषय की कुल 4 पुस्तिकाऐं प्रति विद्यालय एक सैट।
3. **वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका** – कक्षा 1 से 5 के 50 विद्यार्थियों के लिए एक अभिलेख पंजिका के अनुसार।
4. **होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड** – कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थिवार नामांकन के अनुसार।

कक्षा 1 से 5 में विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को गतिविधि आधारित बनाने हेतु उक्तानुसार सामग्री उपलब्ध कराई गई है जिसका उपयोग सतत आकलन हेतु किया जाना है। विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है–

- कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण के लिए पाक्षिक योजना निर्माण किया जाना है इस हेतु पाक्षिक योजना के प्रपत्र पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यकतानुसार प्रिंट करना।
- कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन हेतु विषयवार, टर्मवार आकलन सूचक अंकन पुस्तिकाओं (चैक लिस्ट) का उपयोग किया जाना है। कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार विषयवार चैक लिस्ट प्रत्रक की प्रतियां उपलब्ध कराई गई है।
- कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के साथ कराये जा रहे सृजनात्मक एवं मौलिक कार्य के लिये आवश्यक सामग्री कला किट के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है का उपयोग किया जाये।
- विद्यार्थीवार पोर्टफोलियों संधारण हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान किया जाये तथा विद्यार्थियों को अधिकाधिक सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराये जायें।

RajKaj Ref
5281256

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2024.01.05 14:29:27 IST
Reason: Approved

पाक्षिक योजना डायरी, विषयवार चैकलिस्ट एवं आवश्यक सामग्री शाला दर्पण पोर्टल पर SIQE टैब पर भी अपलोड की हुई है। जिसका अतिरिक्त आवश्यकता होने पर प्रिंट करवाकर कक्षा कक्षीय गतिविधियों में उपयोग किया जाए है।

जिला स्तर से अपेक्षा –

1. Teacher Support Material का विद्यालय स्तर तक वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग की जाये। जिससे कक्षा कक्षीय गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सामग्री उपयोग की जा सकें।
2. विद्यालय अवलोकन के दौरान सामग्री के उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग करना।

ब्लॉक स्तर से अपेक्षा –

1. विद्यालय स्तर पर कक्षा 01 से 05 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को राज्य स्तर से मुद्रित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
2. कक्षा कक्षीय गतिविधियों के दौरान सामग्री के उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग करना।
3. नियमित रूप से शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना।

पीईईओ/यूसीईईओ से अपेक्षा –

1. पाक्षिक योजना डायरी, विषयवार चैकलिस्ट एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
2. पाक्षिक योजना की नियमित समीक्षा करना।
3. विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की नियमित समीक्षा करना।
4. विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को Holistic Report Card एवं पोर्टफोलियों के माध्यम से अभिभावकों के साथ साझा करना।

(डॉ. टी. शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणा.शिक्षा/TSM/2023-24/ 8153 **दिनांक :** 8/1/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. प्रोग्रामर, राज. स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
9. समस्त पीईईओ एवं यूसीईईओ
10. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5281256

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2024.01.05 14:29:27 IST
Reason: Approved